>

Title : Regarding possible impact of Model Code of Conduct on development works in Uttar Pradesh on account of forthcoming elections to Lok Sabha.

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय की ओर पूरे सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि यह सवाल केवल मेरे संसदीय क्षेत्र से ही जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश की तमाम उस जनता के हितों से जुड़ा हुआ है और सभी माननीय सदस्यों के अधिकारों से जुड़ा हुआ है। मैं उम्मीद करूंगा कि इस गम्भीर और महत्वपूर्ण सवाल पर हम सबके अधिकारों की रक्षा हो।

लोक सभा का यह आखिरी सत्र है, जो पांच फरवरी को शुरू हुआ था और इसे 21 फरवरी यानि कि आज तक चलना है। यह सत्र इसलिए बुलाया गया था कि इस अवधि में लेखानुदान और अन्य महत्वपूर्ण विधायी कार्य पूरे किए जा सकें। इस सत्र के समाप्त होने के कुछ ही दिनों बाद चुनाव आयोग कोड ऑफ कंडक्ट लागू कर सकता है। नई लोक सभा के चुनाव की तिथियां घोषित होते ही कोई माननीय सदस्य किसी भवन का उद्घाटन, शिलान्यास या लोकार्पण नहीं कर सकेगा और न ही एमपी लैड के अंतर्गत कोई काम कर सकेगा। हमें केवल अब एक सप्ताह मिलेगा, क्योंकि ऐसी सम्भावना है कि मार्च के प्रथम सप्ताह में भारत का चुनाव आयोग नई लोक सभा के चुनाव की तिथियां घोषित कर देगा। इसलिए इन आठ-दस दिनों में हम सभी माननीय सदस्य अपने-अपने क्षेत्रों में किसी भी भवन का शिलान्यास, उद्घाटन या कोई लोकार्पण वगैरह नहीं कर पाएंगे, जबकि जनता के प्रति जिन योजनाओं की जवाबदेही हमारी है, हमें उसे पूरा करना है।

परसों उत्तर प्रदेश में कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया है, क्योंकि ग्रेजुएट कांस्टीट्यूंसी और टीचर्स के इलेक्शन हो रहे हैं एमएलसी के लिए। उसमें भारत के चुनाव आयोग ने वही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा दिया, जो पहले इन चुनावों में नहीं लगता था। इससे साफ है कि कोई उत्तर प्रदेश का कोई भी संसद सदस्य अपने क्षेत्र में न शिलान्यास कर सकता है, न लोकार्पण कर सकता है और न ही उद्घाटन कर सकता है। यहां तक कि शायद उसकी निधियां भी जारी नहीं हो सकेंगी। इस स्थिति में मैं समझता हूं उपाध्यक्ष महोदय कि पीठ इसका संज्ञान ले और सरकार को इस बात के लिए निर्देशित करेकि वह चुनाव आयोग से बात करे।

उत्तर प्रदेश में जो ग्रेजुएट कांस्टीट्यूंसी का इलेक्शन है या शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के एमएलसी का इलेक्शन है, उसमें मतदाता केवल शिक्षक होते हैं और ग्रेजुएट्स होते हैं। आम मतदाता की कोई सहभागिता इन चुनावों में नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी कोड ऑफ कंडक्ट लग गया है। It is said:

> "With this announcement, following provisions of Model Code of Conduct for the guidance of political parties and candidates have come into force with immediate effect in the district mentioned in the above-mentioned constituencies, which are going to the polls. This may be brought to the notice of the Government, all Ministers, Departments and all other officers of the Indian Government and the concerned officials. Ministers, whether Central or State, shall not make any official visit to any district in which the said biennial elections are being held."

इस तरह से यह लग गया है। There can be no pilot car, no policy announcement, no foundation laying ceremony. वह कोई मीटिंग नहीं कर सकता। मंत्री प्राइवेट विजिट भी नहीं कर सकते।

उपाध्यक्ष महोदय, हम लोगों का अधिकार है संसद सदस्य के रूप में कि हम अपने क्षेत्र में एमपी लैड के रूप में जो हमारे प्रस्ताव होते हैं, वह स्थानीय शासन को देते हैं। इस लोक सभा का सत्र 21 फरवरी तक चलेगा, हमारी उपस्थिति यहां आवश्यक थी इसलिए हम लोग अपने प्रस्ताव या शिलान्यास या लोकार्पण के कार्यक्रम नहीं कर पाए हैं। अब मार्च के प्रथम सप्ताह में चुनाव आयोग नई लोक सभा के चुनाव की तिथियां घोषित कर देगा, तो जो माननीय सदस्य इस क्षेत्र के हैं, इनका उत्तर प्रदेश में अपने क्षेत्रों में कौन सा अधिकार होगा कि जनोपयोगी कार्य कर सकें।

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य कृपया संक्षेप में अपनी बात कहें।

श्री जगदम्बिका पाल : इसलिए मैं चाहता हूं कि सरकार इसमें हस्तक्षेप करे और सरकार की तरफ से कोई जवाब आना चाहिए। जिन क्षेत्रों में ग्रेजुएट कांस्टीट्यूंसी और टीचर्स एमएलसी के चुनाव होने होने हैं उनमें लखनऊ डिवीजन ग्रेजुएट, वाराणसी डिवीजन टीचर्स, आगरा डिवीजन टीचर्स, मेरठ डिवीजन ग्रेजुएट, बरेली-मुरादाबाद टीचर्स, गोरखपुर-फैजाबाद डिवीजन टीचर्स।...(व्यवधान)

श्री दारा सिंह चौहान (घोसी): उपाध्यक्ष जी, यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इसे संज्ञान में लिया जाए।...(व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल : हम चाहते हैं कि इस मसले पर सरकार चुनाव आयोग से बात करे ।

मैं समझता हूं कि सरकार की तरफ से कोई उत्तर आना चाहिए। आप प्रदेश में कुछ नहीं कर सकते हैं इसलिए यह इतना महत्वपूर्ण मामला है।...(व्यवधान) इस पर सरकार का क्या मंतव्य है? ...(व्यवधान)

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (डॉ. फ़ारूख अब्दुल्ला): अभी मैंने आपकी बात सुनी। सही बात है कि आपने पैसा खर्च किया है और वहां पर काम कराया है और अब चूंकि कोड ऑफ कंडक्ट लग गया है तो आप वह पैसा दे नहीं सकते हैं। मैं सरकार से बात करूंगा कि हम इलैक्शन कमीशन से इस बारे में बात करें कि साहब इनका जो पैसा है वह रिलीज किया जाए क्योंकि वहां काम हुआ है। ...(व्यवधान) उन्होंने वहां काम किया है लेकिन पैसा यहां पर बंद है, पैसा निकल नहीं सकता है क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट लग गया है। जैसा कि ये कह रहे हैं कि उनके क्षेत्र में कोड ऑफ कंडक्ट लग गया है। ...(व्यवधान) यह पूरे यूपी में हुआ है। ...(व्यवधान) हम इस विषय में ध्यान देंगे।...(व्यवधान) सही बात है, ये कहते हैं कि इनके यहां कोड ऑफ कंडक्ट लग गया है और इससे उनका जो एमपीलैड फंड है का पैसा है उसे वे इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इन्होंने काम कराये हैं इसलिए मेहरबानी करके उसकी तरफ इलैक्शन कमीशन को कहा जाए कि इसपर नजरेसानी की जाए। हम इलैक्शन कमीशन से पूछेंगे कि इस बारे में देखा जाए क्योंकि इन्होंने वहां काम किया है। ...(व्यवधान) काम हो गया है, पैसा रिलीज करना है।

...(व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल : मैं स्पष्ट कर दूं कि जो माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है उसके लिए धन्यवाद, लेकिन माननीय संसद सदस्यों की भावना को भी सुन लें। थोड़ा सा कंफ्यूजन है और वह यह है कि कुछ माननीय सदस्यों की आखिरी किश्त जो ढाई करोड़ रुपये की थी वह डिपार्टमेंट ऑफ स्टेटेटिक्स से नहीं गयी है। कुछ लोग जिनकी किश्त चली गयी है उनके चैक नहीं कटे हैं तथा कुछ लोगों के प्रौजैक्ट्स जो शिलान्यास के लिए कंप्लीट हो गये हैं, कोड ऑफ कंडक्ट लगने से अब कोई चीज नहीं होगी, यथास्थिति हो जाएगी, न कोई लोकार्पण, न कोई उद्घाटन, न कोई समारोह हो सकता है।

डॉ. फ़ारूख़ अब्दुल्ला : देखिये, इसका भारत सरकार से कोई ताल्लुक नहीं है, मगर भारत सरकार इलैक्शन कमीशन से बात करके इसे सुधारने की कोशिश करेगी।

उपाध्यक्ष महोदय :

श्री एसएस रामासुब्बू,

श्री पीएल पुनिया,

श्री ए.टी. नाना पाटील,

श्री हंसराज गं. अहीर,

श्री हरिभाऊ जावले,

श्री वीरेन्द्र कुमार,

श्री शैलेन्द्र कुमार,

श्री रमाशंकर राजभर एवं

श्री राजेन्द्र अग्रवाल को जगदम्बिका पाल जी के विषय के साथ सम्बद्ध किया जाता है।